

बिहार सरकार

अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग

सं० सं०-5 / निदेश (प्री मैट्रिक)-11-07 / 2021-27

प्रेषक,

प्रियंका रानी, भा० प्र० से०,
निदेशक

सेवा में,

अवर सचिव,
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग,
बिहार पटना।

पटना, दिनांक - 11/05/2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति (वर्ग-9 एवं 10) योजना के तहत राज्यांश मद में ₹10,38,00,000/- (दस करोड़ अड़तीस लाख) मात्र राशि का आवंटन।

महाशय,

निदेश अनुसार, उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2026-27 में केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत अनु० जाति प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति (वर्ग-9 एवं 10) योजना के तहत विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-26 दिनांक-11/05/2026 द्वारा राज्यांश मद के लिए ₹10,38,00,000/- (दस करोड़ अड़तीस लाख) मात्र राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त स्वीकृत्यादेश एवं भारत सरकार के दिशा-निर्देश के आलोक में राशि की निकासी कर SNA खाते में संधारित करने हेतु राज्यांश मद में कुल राशि ₹10,38,00,000/- (दस करोड़ अड़तीस लाख) मात्र आवंटित की जाती है।

2-वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के O.M. दिनांक-23.03.2021 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के आलोक में इस आवंटित राशि का व्यय Single Nodal Agency (SNA) एवं Implementing Agency (IA) के बैंक खाते के माध्यम से किया जाएगा।

3-राज्यांश मद के लिए राशि मांग सं०-44 के योजना बजट मुख्य शीर्ष-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण-उपमुख्य शीर्ष-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-लघु शीर्ष-277-शिक्षा-उपशीर्ष-0324-अनु० जाति के छात्र एवं छात्राओं के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति विषय शीर्ष-0324.34.01 छात्रवृत्ति वजीफा- विपत्र कोड सं०-44-2225012770324 पी०एफ० एम०एस० कोड-9492 के तहत विकलनीय होगा।

4- इस योजना के लिए निकासी पदाधिकारी अवर सचिव, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग होंगे तथा व्ययन पदाधिकारी, Implementing Agency (IA) के रूप में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे। अवर सचिव, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि की निकासी कर Single Nodal Agency (SNA) के बैंक खाता सं०-40327756060 IFSC-SBIN0000153, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, सिंचाई भवन, पटना में संधारित करेंगे।

5-Implementing Agency (IA) शिक्षा विभाग के व्ययन पदाधिकारी, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यय करेंगे तथा व्यय की गई राशि की व्यय विवरणी समय-समय पर अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग को भेजेंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक-2561 दिनांक-17.4.98 तथा समय समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में करेंगे। संकल्प संख्या-3098 दिनांक-20.12.2017 के आलोक में राज्य स्तर पर इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार होंगे।

6- प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति (वर्ग-9 एवं 10) योजना के तहत राशि का व्यय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका में निहित प्रावधानों एवं विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश के आलोक में किया जायेगा।

7-शिक्षा विभाग, छात्रवृत्ति हेतु व्यय किये गये राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित समय-सीमा के अन्दर नियमानुसार महालेखाकार को समर्पित करते हुए इसकी सूचना अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को भेजेंगे।

8-इस आवंटन की सूचना सभी संबंधित पदाधिकारी को दी जा रही है।

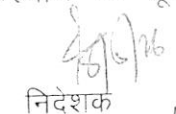
विश्वासभाजन


निदेशक

ज्ञापांक-5/निदे0(प्री मैट्रिक)-11-07/2021- 27 पटना, दिनांक- 11/05/2026
प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक

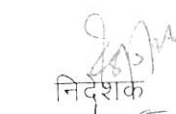
ज्ञापांक-5/निदे0(प्री मैट्रिक)-11-07/2021- 27 पटना, दिनांक- 11/05/2026
प्रतिलिपि-विकास आयुक्त, बिहार/ अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग/अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग/अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक कल्याण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक

ज्ञापांक-5/निदे0(प्री मैट्रिक)-11-07/2021- 27 पटना, दिनांक- 11/05/2026
प्रतिलिपि:-सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक

ज्ञापांक-5/निदे0(प्री मैट्रिक)-11-07/2021- 27 पटना, दिनांक- 11/05/2026
प्रतिलिपि:-लेखा शाखा (2 प्रति में)/प्रभारी बजट शाखा/प्रशाखा पदा0-5डी0/आई0 टी0 मैनेजर/सांख्यिकी कोषांग, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक

ज्ञापांक-5/निदे0(प्री मैट्रिक)-11-07/2021- 27 पटना, दिनांक- 11/05/2026
प्रतिलिपि-माननीय मंत्री के आप्त सचिव, शिक्षा विभाग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।


निदेशक